भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

संख्या 24 /ई0निविदा सह ई0निविदा/भू0खनिई0/2017–18, दिनांक 12 मार्च, 2018

कार्यालय आदेश

राज्य के विभिन्न जनपदों में चिन्हित उपखनिज क्षेत्रों को शासन द्वारा रिक्त घोषित किये जाने के उपरान्त ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2018 को जनपद पौडी गढ़वाल के 05 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 06 उपखनिज लॉट, जनपद उधमसिंहनगर का 01 उपखनिज लॉट व 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के जनपद उधमसिंहनगर के 03 उपखनिज लॉटों के आवंटन हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए प्रथम चरण (ई–निविदा) के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापित किये गये थे।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली यथासंशोधित, 2017 के नियम 29 (क) (8) में प्राविधानित है कि "........... रिक्त उपखनिज क्षेत्रों की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया 5.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लॉट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में पजीकृत हो, 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट/कम्पनीय एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 50.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन लॉट भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मों/सोसाइटी आदि को आवंटित किये जायेगें।"

उपरोक्त नियम के अनुपालन में 05 है0 से कम क्षेत्रफल वाले उपखनिज लाटों के निविदा प्रपत्र में विशेष शर्त के रूप में यह व्यवस्था अभिलिखित की गयी कि आवेदन हेतु जी0एस0टी0 नम्बर आवश्यक है। अतः सभी व्यक्तिगत निविदाकारों को व्यक्तिगत जी0एस0टी0 नम्बर प्राप्त करना आवश्यक होगा। फर्म अथवा कम्पनी चाहे वह प्रोपराईटरी ही क्यों न हो का जी0एस0टी0 नम्बर उपयोग नहीं किया जा सकता। जनपद पौडी गढ़वाल के उक्त 06 लॉट तथा उधमसिंहनगर का 01 लॉट के लिये दिनांक 30.01.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 15.02.2018 से दिनांक 22.02.2018 को बिड सबमिशन के तिथि निर्धारित थी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.02.2018 को उपरोक्त वर्णित 10 उपखनिज लाटों के ई–निविदा (तकनीकी बोली) खोली गयी तथा दिनांक 27.02.2018 को ई–निविदा (तकनीकी बोली) का परिणाम घोषित किया गया।

जनपद पौडी गढ़वाल के 05 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 06 उपखनिज लॉट तथा जनपद उधमसिंहनगर के 01 उपखनिज लॉटों हेतु प्राप्त ऑनलाईन निविदाओं के निविदाकारों के अभिलेखों के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उनके व्यक्तिगत पैन कार्ड के आधार पर प्राप्त किये गये जी0एस0टी प्रमाण पत्रों में कॉन्सटीट्यूशन ऑफ बिजनेस के कॉलम में वर्णित प्रोपराईटरशिप दर्ज है।

उपरोक्त तथ्य का संज्ञान लेते हुये विभागीय ई–निविदा सह ई–नीलामी समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र को प्रोपराइटरी फर्म मानते हुये आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग सभी निविदाकारों के आवेदन अस्वीकृत हो जाने के कारण पांच हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के जनपद पौडी गढ़वाल के 06 उपखनिज लॉटों एवं जनपद उधमसिंहनगर के 01 उपखनिज लॉट की ई–निविदा प्रक्रिया को निरस्त घोषित करते हुए नियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अगले उच्च वर्ग, राज्य स्तर, की निविदा आमंत्रित करने पुनः ई–निविदा हेतु दिनांक 02.03.2018 को विज्ञापन जारी किया गया तथा दिनांक 14.03.2018 को तकनीकी निविदा खोली जानी निर्धारित है।

जनपद पौडी गढ़वाल के कतिपय निविदाकारों द्वारा उनकी ई–निविदा अस्वीकृत हो जाने के कारण विभाग में अपना विरोध व्यक्त किया गया तथा अवगत कराया गया कि उनका जी0एस0टी0 पंजीकरण व्यक्तिगत है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, राज्यकर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून का अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि **"जी0एस0टी0 के अन्तर्गत व्यक्तिगत निविदाकार स्वयं अपने नाम से पंजीयन प्राप्त कर सकते है तथा ऐसे पंजीयनों में स्वत्वधारी (Propritroship) के रूप कारोबार का गठन एकल स्वामित्व (व्यक्तिगत/Individual) है।"**

आयुक्त, राज्यकर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त वर्णित अभिमत के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद पौडी गढ़वाल के 05 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 06 उपखनिज लॉट, जनपद उधमसिंहनगर के 01 उपखनिज लॉट के लिये जनपद के स्थायी निवासियों, स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, को पुनः अवसर प्रदान किया जाय।

अतः जनपद पौडी गढ़वाल के 06 खनन लॉट, ग्राम सरोडा, क्षेत्रफल 0.550 है0, ग्राम मरोडा क्षेत्रफल 4.002 है0, ग्राम बिलखेत क्षेत्रफल 4.012 है0, ग्राम नौगांव क्षेत्रफल 1.651 है0, ग्राम बडखोलू क्षेत्रफल 4.865 है0, ग्राम धुरोली क्षेत्रफल 2.272 है0 एवं जनपद उधमसिंहनगर का 01 खनन लॉट, ग्राम लक्ष्मीपुर क्षेत्रफल 2.800 है0, जिन्हें राज्य स्तर श्रेणी में दिनांक 02.03.2018 को प्रकाशित विज्ञापन द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के लिए विज्ञापित किया गया था, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त सभी 07 लॉट सम्बन्धित जनपदों के स्थायी निवासियों, स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, को ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु पुनः दिनांक 15.03.2018 को विज्ञापित किये जायेगें।

भवदीय

12/03/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक